रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 1971/अग्रहायण 26, 1893

No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 1971/AGRAHAYANA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th December 1971

SUBJECT.—*Grant of emergency licences for import of spare parts to State Electricity Boards/Projects/Undertakings and Irrigation Projects.*

No. 176-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the provisions contained in paragraphs 208 and 217A in Chapter VIII of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971 for the grant of emergency licences for import of spare parts to State Electricity Boards/Projects/Undertakings and Irrigation Projects.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in respect of the aforesaid provisions:—

(i) In paragraph 208, the existing provisions shall be numbered as sub-para (1) thereof, and the following new sub-paras shall be added after sub-para (1):—

"(2) Applications for emergency licences for import of spare parts in excess of the value limit mentioned in sub-para (1) will also be considered from State Electricity Boards/Projects/Undertakings provided the total value of

such licences obtained in the course of a licensing period including the value obtained under sub-para (1) does not exceed 0:1 per cent of the value of equipment for the maintenance of which the spare parts are sought to be imported, and such value also does not exceed the over-all monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and Power, Government of India, New Delhi, for this purpose for the licensing period concerned. Along with each import application, the applicant should furnish a declaration to the effect that the value of spare parts applied for is within 0:1 per cent of the value of the equipment for the maintenance of which the import is sought to be made, and its is also within the overall monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, for this purpose. The value of equipment shall be the c.i.f. price in the case of imported equipment and the purchase price in the case of equipment obtained from indigenous sources, taking in both the cases the prices payable for the new equipments.

(3) Applications for licences in terms of sub-para (2) above can be made to the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports New Delhi or to the Regional licensing authority concerned. In each application, the applicant should indicate the value of emergency spare licences already obtained or applied for during the same licensing period. The application should also be supported by a list of spares sought to be imported, indicating the c.i.f. value of each item. For the purposes of such emergency licences it will be open to the licensee to import spare parts listed in Appendix 3 to the I.T.C. policy (Red Book—Vol. I) without restriction provided it is within the overall value of the licence."

(ii) In paragraph 217A, the existing provisions shall be numbered as sub-para (1) thereof, and the following now sub-paras shall be added after sub-para (1):

"(2) Applications for emergency licences for import of spare parts in excess of the value limit mentioned in sub-para (1) will also be considered from Irrigation Projects in the Public Sector provided the total value of such licences obtained in the course of a licensing period including the value obtained under sub-para (1) does not exceed 0.1 per cent of the value of equipment for the maintenance of which the spare parts are sought to be imported, and such value also does not exceed the overall monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and Power, Government of India, New Delhi for this purpose for the licensing period concerned. Along with each import application, the applicant should furnish a declaration to the effect that the value of spare parts applied for is within 0.1per cent of the value of the equipment for the maintenance of which the import is sought to be made, and it is also within the overall monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and Power, New Delhi for this purpose. The value of equipment shall be the c.i.f. price in the case of imported equipment and the purchase price in the case of equipment obtained from indigenous sources, taking in both the cases the prices payable for the new equipments.

(3) Applications for licences in terms of sub-para (2) above can be made to the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or to the Regional licensing authority concerned. In each application, the applicant should indicate the value of emergency spare licences already obtained or applied for during the same licensing period. The application should also be supported by a list of spares sought to be imported, indicating the c.i.f. value of each item. For the purposes of such emergency licence it will be open to the licensee to import spare parts listed in Appendix 3 to the I.T.C. Policy (Red Book—Vol. I) without restriction provided it is within the overall value of the licence.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1971

विषय.—राज्य विद्युत, बोर्डों/परियोजनाओं/उपक्रमों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करना।

संख्या—I 76/आई० टी० सी० (पी०एन०)/71.—आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक क्रिया-विधि, 1971 के अध्याय 8 की कंडिका 208 और 217ए/ में राज्य विद्युत बोर्डों/परियोजनाओं/उपक्रमों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जायें :—

(1) वर्तमान व्यवस्थाएं उनकी उप-कंडिका (1) के रूप में संख्यांकित की गई समझी जायेंगी और निम्नलिखित उप-कंडिका को उप-कंडिका (1) के बाद जोड़ा जाएगा :—

"(2) उप-कंडिका (1) में उल्लिखित मूल्य सीमा अधिक होने पर भी फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपात लाइसेंस के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/परियोजनाओं/उपक्रमों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे लाइसेंसों का कुल मूल्य जो लाइसेंस अवधि के दौरान प्राप्त किए गए हैं और जिनमें उप-कंडिका (1) के अन्तर्गत प्राप्त किए गए मूल्य भी शामिल है जिन उपस्करों के अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए मांग की गई है उनके मूल्य का 0.1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता है और ऐसा मूल्य सिंचाई और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस कार्य के लिए सम्बद्ध लाइसेंस अवधि में आवेदक को आबंटित की गई कुल मौद्रिक उच्चतम सीमा से भी अधिक नहीं होता है। प्रत्येक आयात आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को इस संबंध में एक घोषणा-पत्र भेजना होगा कि जिन फालतू पुर्जों के लिए आवेदन किया गया है, उनका मूल्य उन उपस्करों के अनुरक्षण के लिए किए जाने वाले आयात के मूल्य के 0.1 प्रतिशत के भीतर है और यह कि वह सिंचाई और बिजली मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस कार्य के लिए आवेदक को आबंटित की गई कुल मौद्रिक उच्चतम सीमा के भी भीतर ही है। आयातित उपस्करों के मामले में उपस्करों का मूल्य लागत बीमा-भाड़ा होगा और देशी उपस्करों के मामलों में क्रय कीमत होगी, दोनों मामलों में, नए उपस्करों के लिए जो कीमत है वही देय होगी।

(3) उपर्युक्त उप-कंडिका (2) की शर्तों के अनुसार, आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को या सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेज सकते हैं। आवेदक को चाहिए कि वह प्रत्येक लाइसेंस में जो आपात फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, उसके मूल्य को या उसी लाइसेंस अवधि में जिसके लिए आवेदन किया है उसके मूल्य को प्रदर्शित करे। आवेदन-पत्र में उन फालतू पुर्जों की सूची भी होनी चाहिए जिनका आयात

किया जाना है और प्रत्येक मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य भी संकेतित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आपात लाइसेंसों के लिए, लाइसेंसधारी के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक-वा० 1) के लिए परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध फालतू पुर्जों का आयात बिना किसी प्रतिबंधिता के करेगा बशर्ते कि यह लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर है।

(2) कंडिका 217 ए में, वर्तमान व्यवस्थाएं उनकी उप-कंडिका (1) के रूप में संख्यांकित की जायगी, और निम्नलिखित नई उप-कंडिका को उप-कंडिका (1) के बाद जोड़ा जाएगा :—

"(2) उप-कंडिका (1) में उल्लिखित मूल्य सीमा अधिक होने पर भी फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपात लाइसेंस के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे लाइसेंसों का कुल मूल्य जो लाइसेंस अवधि के दौरान प्राप्त किए गए हैं और जिनमें उप-कंडिका (1) के अन्तर्गत प्राप्त किए गए मूल्य भी शामिल हैं जिन उपस्करों के अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए मांग की गई है, उनके मूल्य का 0·1 प्रतिशत से जायदा नहीं होना है और ऐसा मूल्य सिंचाई और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस कार्य के लिए सम्बद्ध लाइसेंस अवधि में आवेदक को आबंटित की गई कुल मौद्रिक उच्चतम सीमा से भी अधिक नहीं होना है। प्रत्येक आयात आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को इस संबंध में एक घोषणा-पत्र भेजना होगा कि जिन फालतू पुर्जों के लिए आवेदन किया गया है उनका मूल्य उन उपस्करों के अनुरक्षण के लिए किए जाने वाले आयात के मूल्य के 0·1 प्रतिशत के भीतर है और यह कि वह सिंचाई और बिजली मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस कार्य के लिए आवेदक को आबंटित की गई कुल मौद्रिक उच्चतम सीमा के भी भीतर ही है। आयातित उपस्करों के मामले में उपस्करों का मूल्य लागत बीमा-भाड़ा होगा और देशी उपस्करों के मामले में क्रय कीमत होगी, दोनों मामलों में, नए उपस्करों के लिए जो कीमत है वही देय होगी।

(3) उपर्युक्त उप-कंडिका (2) की शर्तों के अनुसार, आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को या सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेज सकते हैं। आवेदक को चाहिए कि वह प्रत्येक लाइसेंस में जो आपात फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, उसके मूल्य को या किसी लाइसेंस अवधि में जिसके लिए आवेदन किया है उसके मूल्य को प्रदर्शित करे। आवेदन-पत्र में उन फालतू पुर्जों की सूची भी होनी चाहिए जिनका आयात किया जाना है और प्रत्येक मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य भी संकेतित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आपात लाइसेंसों के लिए, लाइसेंसधारी के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक—वा० 1) के लिए परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध फालतू पुर्जों का आयात बिना किसी प्रतिबंधिता के करेगा बशर्ते कि यह लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर है।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972